संतकबीरनगर पुलिस

जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 12-10-2021**

आज दिनांक 12.10.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

धनघटा पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ परिवहन में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल सीज

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ शराब के परिवहन में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल वाहन सं0 यूपी58एफ2163 को ग्राम जिगिना के पास बैरहा मोड़ से बरामद कर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 500 / 2021 धारा 60 / 72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया व परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को सीज किया गया।

बरामद करने वाली पुलिस टीम का विवरणः- प्रभारी चौकी जगदीशपुर उ0नि0 श्री लालबिहारी निषाद, का0 विनोद यादव, का0 गुड्डु यादव, का0 रघुवंश प्रसाद।

धनघटा पुलिस द्वारा वारण्टी गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा दबिश के दौरान वारण्टी नाम पता अब्बास अली पुत्र जलील निवासी हैंसर बाजार थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री राजाराम प्रसाद, का0 प्रवीण तिवारी।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 12 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 07 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना मेहदावल पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

संतकबीरनगर पुलिस

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1489 द्वारा मारपीट / विवाद को कराया गया शान्त– पीआरवी 1489 को थाना मेहदावल क्षेत्रान्तर्गत काली जगदीशपुर से इवेन्ट संख्या 08958 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने के संबन्ध में सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट / विवाद को शान्त कराकर दोनों पक्षों के व्यक्तियों को विधिक कार्यवाही हेतु थाना मेहदावल के सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर विवाद को शान्त कराकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचा लिया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ –मु0आ0 अशोक प्रसाद, आ0 अनुज कुमार शर्मा, हो0चा0 सुभाष मौर्या।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 88 वाहनो से 81500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 12.09.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 88 वाहनो से 81500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।